संख्या-सी0एस0-13/77-6-14-14(एम)/2014

प्रेषक,

संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
2-समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ.प्र. ।
3-समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र. ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 10 जून, 2014

विषय : उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर 'हेल्प-लाइन' की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में उद्योगों एवं निवेशकों की समस्याओं निवारण के लिये राज्य/मण्डल तथा जनपद स्तर पर उद्योग बन्धु की स्थापना की गई जिसके अन्तर्गत बैठकें आयोजित कर समस्या का समाधान कराया जाता है।

2- सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के निवेशकों का राज्य सरकार के प्रति अधिक विश्वास जागृत करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर एक 'हेल्प-लाइन' व्यवस्था तत्काल लागू कर दी जाए। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योगपति, व्यापारी तथा विभिन्न क्षेत्रों के निवेशक (जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, पशुपालन, पोल्ट्री आदि क्षेत्र भी सम्मिलित हों) को अपनी समस्याओं को हेल्प-लाइन के एक विशिष्ट चिन्हित दूरभाष तथा ई-मेल पर नोट कराने की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। प्राप्त समस्याओं को हेल्प-लाइन द्वारा संबन्धित विभागों को संदर्भित किया जाए तथा उनके निस्तारण का नियमित अनुश्रवण किया जाए।

3- उपरोक्त उद्देश्य से उद्योग बन्धु, लखनऊ में एक राज्य स्तरीय 'हेल्प-लाइन' की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। दूरभाष की हेल्पलाइन प्रत्येक कार्य-दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक क्रियाशील रहेगी। इस हेतु दूरभाष एवं ई-मेल आई.डी. निम्नवत् हैं:-

ई-मेल आई.डी.	:	uphelpline@udyogbandhu.com
दूरभाष संख्या	:	0522-2238902
वेब-साइट	:	http://grievance.udyogbandhu.com/

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव,

संख्या- सी0एस0-13(1)/77-6-14-14(एम)/2014एवं दिनांक तदैव :

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें तथा मासिक प्रगति से अवगत करायें।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. औद्येगिक विकास विभाग एवं लघु उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निगम/ प्राधिकरण/अनुभाग।
7. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अनुभाग।
8. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग, उ.प्र.।
9. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ.प्र.।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरज साहू)
सचिव